

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) *चलकीड वणी*

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

..... *के.ए.सिंह आदि* उनवान *राजस्थान-सरकार* बनाम

दावा बाबत *U/S 88 R.T.A. 136 LRA*

मुकदमा नम्बर :- 100/2020

निर्णय दिनांक :- 29-11-2021

वादी की ओर से *स्वयं* की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख *29-11-21* को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

लोक अदालत की आज्ञा से दावावादीगण स्वीकार किया जाकर वादगण हल हो जाते हैं। सं. 140 एन.नं. 393/2000 तादादी उ.उप.उप.हैक्टर रोही गाम कानडवासी में अंकित खालेदारों के.ए.सिंह, वि.ए.सिंह, वि.ए.सिंह, वि.ए.सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह अंकित करके का छोड़ दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु उक्ताअकार रजिस्टर रिकॉर्ड में अमल दर्ज करें। प्रक्रिये में नाम दुरुस्ती के संबंध में विवाद के लिए समस्त जिम्मेदारी वादीगण की रहेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख *29-11-2021* को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



वि 29/11/21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



ना 10 250 *943*
03.12.2021